DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

16 फरवरी 2023

दल-बदल विरोधी कानून

प्रसंग

- हाल ही में, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि महत्वपूर्ण राज्यों में सरकारों को गिराने तथा दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) को निष्प्रभावी करने के लिए "चालाक" विधायकों को काम पर रखा जाता है।
- उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों की अयोग्यता के मामलों का निर्णय करने में अध्यक्षों के पास उपलब्ध "व्यापक विवेक" को सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

दल-बदल विरोधी कानून के बारे में:

- दल-बदल विरोधी कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया गया था।
- इसने भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ा।
- यह प्रावधान निर्वाचित सदस्यों को कार्यालय या अन्य समान विचारों के किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने से रोकता है।
- यह उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसके द्वारा एक विधायक को दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय ऐसे सदन के अध्यक्ष या अध्यक्ष को भेजा जाता है।
- पीठासीन अधिकारी के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
- कानून कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है जिसमें ऐसा निर्णय लिया जाना है।
- 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन महीने के समय में दलबदल विरोधी मामलों का फैसला अध्यक्षों द्वारा किया जाना चाहिए।

अयोग्यता के आधार:

- यदि किसी पार्टी का कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है।
- अगर कोई सदस्य पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करता है या व्हिप की अनदेखी करता है।
- एक निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के बाद एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- एक मनोनीत सदस्य छह महीने के बाद एक राजनीतिक दल में शामिल हो रहा है

मनोनीत होने का।

अपवाद

- हालाँकि यह कानून लागू नहीं होगा यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्यों के पास है, दूसरे के साथ विलय के लिए उनकी सहमति दी।
- सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में चुने जाने पर, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या उस पद पर रहने के बाद फिर से सम्मिलित हो जाता है, तो वह अयोग्य नहीं होगा।

महत्व

- दल-बदल विरोधी कानून ने देश भर में निर्वाचित सरकारों को स्थिरता प्रदान की है।
- इसने सत्तारूढ़ दलों को खरीद-फरोख्त में लिप्त होने से रोका है।

काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) और डीजीटीआर

प्रसंग

हाल ही में, वाणिज्य मंत्रालय ने इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से शैंपू, साबुन और डिटर्जेंट जैसे पर्सनल केयर उत्पाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन के आयात पर काउंटरवेलिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की थी क्योंकि यह घरेलू उद्योग को प्रभावित कर रहा था।

मुख्य विशेषताएं:

- व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने कहा कि इन देशों द्वारा सब्सिडी और घरेलू खिलाड़ियों को नुकसान की भरपाई के लिए 'संतृप्त फैटी अल्कोहल' के आयात पर निश्चित प्रतिकारी शुल्क लगाने की आवश्यकता है।
- पिछले साल फरवरी में, निदेशालय ने रसायन के निर्यात पर इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड द्वारा सब्सिडी की जांच शुरू की थी।

प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सीवीडी)

- प्रतिसंतुलनकारी शुल्क या सीवीडी आयातित वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क हैं।
- ये निर्यातक देश की सरकार द्वारा दी जाने वाली ऑफसेट सब्सिडी के लिए लगाए जाते हैं।
- सीवीडी किसी भी नकारात्मक घरेलू प्रभाव को ऑफसेट करने में मदद करते हैं जो उसी वस्तु के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण अनुभव हो सकता है, जो इस मामले में उसी वस्तु को निर्यात करने के लिए सब्सिडी प्राप्त करेंगे।
- विश्व व्यापार संगठन प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की अनुमति तभी देता है जब आयात करने वाला देश सब्सिडी वाले निर्यात की गहन जांच करता है।

डंपिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी (एडीडी)

- डम्पिंग तब घटित होती है जब किसी देश द्वारा किसी दूसरे देश को सामान का निर्यात उस कीमत से कम कीमत पर किया जाता है जो वह सामान्य रूप से अपने घरेलू बाजार में चार्ज करता है।
- यह एक अनुचित व्यापार प्रथा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प विकृत प्रभाव पड़ सकता है।
- ADD एक संरक्षणवादी टैरिफ है जिसे एक घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर लगाती है जिसका मानना है कि इसकी कीमत उचित बाजार मूल्य से कम है।
- विश्व व्यापार संगठन द्वारा इसे लागू करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए अनुमति दी जाती है, जब तक कि इसे पहले रद्द न कर दिया जाए।
- इसे और बढ़ाया जा सकता है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR)

- निदेशालय वाणिज्य मंत्रालय की एक जांच शाखा है। यह एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी से संबंधित है।
- इसकी स्थापना 1998 में एंटी-डंपिंग और संबद्ध कर्तव्यों के महानिदेशालय के रूप में की गई थी।
- 2018 में इसका नाम बदलकर DGTR कर दिया गया।
- यह घरेलू उद्योग और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ स्थापित किए गए व्यापार उपाय जांच के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए व्यापार रक्षा सहायता प्रदान करत है।

डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति

प्रसंग

सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर का चुनाव करने में विफल रहने पर केंद्र और पांच राज्यों राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को नोटिस जारी किया।

मुख्य विशेषताएं:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के नेतृत्व वाली एक पीठ ने एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा के लिए डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं करना "संविधान के पत्र और भावना के खिलाफ" है।
- पांच राज्य विधानसभाओं में भी पद खाली पड़े हैं, जिनका गठन चार साल और लगभग एक साल पहले के बीच किया गया था, (शारीक अहमद v. भारत संघ और अन्य)।

संविधान डिप्टी स्पीकर के बारे में क्या कहता है?

- अनुच्छेद 93 में कहा गया है, "जनता की सभा, जितनी जल्दी हो सके, दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी...और, जितनी बार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, सदन किसी अन्य सदस्य का चयन करेगा"
- अनुच्छेद 178 में राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए संबंधित स्थिति शामिल है।

क्या डिप्टी स्पीकर होना अनिवार्य है?

• संवैधानिक विशेषज्ञ बताते हैं कि अनुच्छेद 93 और 178 दोनों में "करेगा" शब्द का प्रयोग किया गया है, जो दर्शाता है कि संविधान के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है।

डिप्टी स्पीकर कितनी जल्दी होना चाहिए

- जितनी जल्दी हो सके", अनुच्छेद 93 और 178 कहते हैं। लेकिन वे एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं।
- उपाध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर दूसरे सत्र में होता है और आम तौर पर वास्तविक और अपरिहार्य बाधाओं के अभाव में इसमें और देरी नहीं होती है।

• लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 8 में कहा गया है कि उपाध्यक्ष का चुनाव

- एक बार निर्वाचन के बाद, डिप्टी स्पीकर आमतौर पर सदन की पूरी अवधि के लिए पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 94 (राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 179) के तहत, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष "सदन के सदस्य नहीं रहने पर अपना कार्यालय खाली कर देंगे"।
- वे एक-दूसरे को इस्तीफा भी दे सकते हैं, या "सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित लोक सभा के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है"।

क्या स्पीकर की शक्तियां डिप्टी स्पीकर तक भी विस्तारित होती हैं?

- अनुच्छेद 95(1) कहता है: "जबकि अध्यक्ष का कार्यालय रिक्त है, कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा"।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या सदन की अध्यक्षता कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अध्यक्ष से कोई अपील नहीं की जा सकती है।

केंद्र सरकार की स्थिति क्या है?

- ट्रेजरी बेंच ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर के लिए "तत्काल आवश्यकता" नहीं है क्योंकि सदन में सामान्य रूप से "बिल पारित किए जा रहे हैं और चर्चा हो रही है"।
- एक मंत्री ने तर्क दिया कि "विभिन्न दलों से वरिष्ठ, अनुभवी और चयनित 9 सदस्यों का एक पैनल है जो सभापति को सदन चलाने में सहायता करने के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है"।

क्या न्यायालय विलंब के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं:

- सितंबर 2021 में, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें तर्क दिया

"उस तारीख को होगा जिसे अध्यक्ष तय कर सकते हैं"।	गया था कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव में देरी ने अनुच्छेद 93 (पवन रिले बनाम स्पीकर, लोकसभा और अन्य) का उल्लंघन किया है। हालाँकि, अभी तक विधायिका को डिप्टी स्पीकर चुनने के लिए मजबूर करने हेतु कोई न्यायिक साक्ष्य नहीं है।

संक्षिप्त सुर्खियां

ऑब्राइट्स

प्रसंग

शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि गुजरात के दो गांवों में दुर्घटना का कारण बनने वाला एक उल्कापिंड एक दुर्लभ ऑब्राइट है जो हमारे सौर मंडल में एक बेहद कम विभेदित मूल पिंड से उत्पन्न हुआ है।

मुख्य विशेषताएं:

- ऑब्राइट्स "मोटे दाने वाली आग्नेय चट्टानें हैं जो" ऑक्सीजन-खराब परिस्थितियों में बनती हैं, और इस प्रकार "विभिन्न प्रकार के विदेशी खनिज होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं"। उदाहरण के लिए, उल्कापिंड में सबसे पहले खनिज हेइडाइट का वर्णन किया गया था।
- यह भारत में ऑब्राइट की केवल दूसरी दर्ज की गई दुर्घटना है। दुनिया भर में, ऑब्राइट्स 1836 से कम से कम 12 स्थानों पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।
- उल्का अंतरिक्ष में किसी ठोस वस्तु के टुकड़े होते हैं जो टूट कर अलग हो जाते हैं, किसी ग्रह या चंद्रमा पर उतरते हैं, और सतह पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। एक बार सतह पर, उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है।
- ऑब्राइट्स एक प्रकार का उल्कापिंड है; वैज्ञानिक अभी तक उनकी उत्पत्ति के बारे में निश्चित नहीं हैं, हालांकि कुछ संकेत बताते हैं कि वे क्षुद्रग्रह 3103 ईगर या बुध ग्रह से हो सकते हैं।

निधि आधारित उधार दरों की सीमांत लागत (एमसीएलआर)

प्रसंग

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की बढ़ोतरी के बाद, कई उधारदाताओं ने फंड आधारित उधार दरों (एमसीएलआर) की सीमांत लागत को 15 आधार अंकों तक बढ़ा दिया है।

इसका परिणाम उधारकर्ताओं के लिए उच्च समान मासिक किस्त (EMI) होगा।

एमसीएलआर के बारे में :-

- इसे 1 अप्रैल, 2016 को पेश किया गया था।
- यह जुलाई 2010 से लागू है तथा इसने बेस रेट संरचना को बदल दिया।
- एमसीएलआर वह न्यूनतम ब्याज दर है जिससे कम पर बैंक उधार नहीं दे सकते।

MCLR

Marginal Cost of Funds based Lending Rate

- रेपो दर में कोई भी परिवर्तन उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर को प्रभावित करता है।
- बैंक अपने बोर्डों से अनुमोदन के साथ हर महीने एक पूर्व-घोषित तिथि पर विभिन्न परिपक्वताओं के अपने एमसीएलआर की समीक्षा करते हैं।
- इससे पहले, जब आरबीआई ने रेपो दर घटाई थी, तो बैंकों को उधारकर्ताओं के लिए उधार दरों में इसे दर्शाने में काफी समय लगता था।
- MCLR की गणना चार घटकों के आधार पर की जाती है: धन की सीमांत लागत, नकद आरक्षित अनुपात, परिचालन लागत और अवधि प्रीमियम के कारण नकारात्मक भार।
- आरबीआई ने अक्टूबर 2019 में बाहरी बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट (ईबीएलआर) प्रणाली की शुरुआत की।
  - इसका उद्देश्य बैंकों के ऋण देने के लिए रेपो दर के प्रसारण में और जमा दरें सुधार करना था।
  - बैंक अब उधार दरों की पेशकश करते हैं जो आरबीआई की रेपो दर या ट्रेजरी बिलों पर उपज से जुड़ी होती हैं।
  - रेपो दर में कोई भी परिवर्तन तुरंत बैंकों की उधार दर में परिलक्षित होता है।

लसीका फाइलेरिया

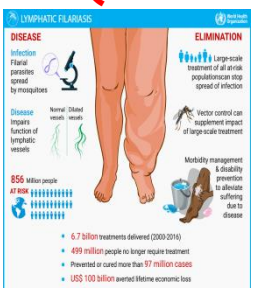

प्रसंग

- हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) अभियान शुरू किया।
- इसका उद्देश्य विशेष रूप से 10 प्रभावित राज्यों में फाइलेरिया रोधी दवाओं के घर-घर प्रशासन के माध्यम से फाइलेरिया रोग के संचरण को समाप्त करना है।

मुख्य विशेषताएं:

- सर्वाधिक प्रभावित जिले - बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश।
- वैश्विक लक्ष्य से तीन साल पहले, भारत 2027 तक फाइलेरिया को खत्म करने की योजना बनाई है ।
- इस लक्ष्य को सतत विकास लक्ष्यों के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए सही समय है, जिसका उद्देश्य भूख और विकलांगता या रुग्णता के सभी रूपों को समाप्त करना है,

लसीका फाइलेरिया के बारे में:

- लसीका फाइलेरिया, जिसे विश्व स्तर पर एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (एनटीडी) माना जाता है,
- वयस्क कृमि केवल मानव लसीका प्रणाली में रहते हैं।

- लसीका प्रणाली शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखती है और संक्रमण से लड़ती है।
- लसीका फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
- लसीका फाइलेरिया लसीका प्रणाली को खराब कर देता है और शरीर के अंगों में असामान्य वृद्धि का कारण बन सकता है, जिससे दर्द, गंभीर विकलांगता और सामाजिक कलंक पैदा हो सकता है।
- लसीका फाइलेरिया को संक्रमण के प्रसार को रोककर समाप्त किया जा सकता है, निवारक कीमोथेरेपी सुरक्षित दवा संयोजनों के साथ वर्ष में दो बार दिया जाता है ।

एमपॉक्स (मंकीपॉक्स)

प्रसंग

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक बयान के अनुसार, 1 जनवरी, 2022 से 110 देशों से एमपॉक्स (मंकीपॉक्स) के 85,765 पुष्ट और 1,382 संभावित मामले सामने आए हैं।

Mpox के बारे में:

- वायरस: मंकीपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है।
- यह विषाणुओं का एक समूह है जिसमें वेरियोला विषाणु भी शामिल है, जो चेचक का कारण बनता है।
- मंकीपॉक्स चेचक के समान लक्षण पैदा करता है, हालांकि वे कम गंभीर होते हैं।
- पहली बार 1970 में अफ्रीका में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसका निदान किया गया था।

संचरण :

- मंकीपॉक्स एक जूनोटिक रोग है और यह संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलता है।
- मामले उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के निकट होते हैं जहां जानवर निवास करते हैं जो विषाणु ले जाते हैं।
- मानव-से-मानव संचरण सीमित है।

लक्षण और उपचार :

- मंकीपॉक्स बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द और थकावट के साथ शुरू होता है।
- मंकीपॉक्स के लिए ऊष्मायन अवधि आमतौर पर 7-14 दिनों की होती है, लेकिन यह 5-21 दिनों तक हो सकती है।

- रोगी में दाने विकसित हो जाते हैं जो चेहरे पर शुरू होते हैं और शरीर के दूसरे अंग तक फैल जाते हैं ।
- मंकीपॉक्स के लिए अभी तक कोई सुरक्षित, सिद्ध उपचार नहीं है।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम

प्रसंग

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- "वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम" को मंजूरी दी।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में:

- यह योजना उत्तरी भूमि सीमा के साथ 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे और आजीविका विकास को वित्तपोषित करेगी।
- यह समावेशी विकास हासिल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में मदद करेगा। पहले चरण में 663 गांवों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
- योजना "हब एंड स्पोक मॉडल" पर स्थानीय प्राकृतिक मानव और अन्य संसाधनों और विकास केंद्रों के विकास के आधार पर आर्थिक चालकों की पहचान और विकास करने में सहायता करती है।
- जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत वाइब्रेंट विलेज एक्शन योजनाएं तैयार करेंगे। यह सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ ओवरलैप नहीं होगा
- सौर और पवन ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

बौने ग्रह के चारों तरफ वलय

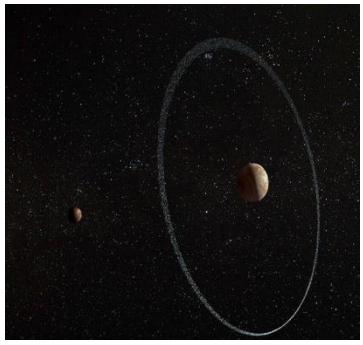

प्रसंग

खगोलविदों ने एक नए अध्ययन के अनुसार, क्वाओर नामक सौर मंडल के किनारे कुइपर बेल्ट में स्थित एक बौने ग्रह के चारों ओर एक वलय पाया है।

मुख्य विशेषताएं:

- वैज्ञानिकों ने निष्कर्षों को "अत्यंत अद्भुत " के रूप में वर्णित किया, यह कहते हुए कि वे खगोलविदों को ग्रहों के छल्लों को नियंत्रित करने वाले कानूनों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
- अध्ययन के अनुसार, वलय रोश सीमा से बहुत दूर है - एक गणितीय रूप से निर्धारित दूरी जिसके आगे वलय मौजूद नहीं हैं।
- यह एक ट्रांस-नेपच्यूनियन वस्तु है जिसे क्वाओर के रूप में जाना जाता है जो प्लूटो के आकार का लगभग आधा है और नेपच्यून से परे परिक्रमा करता है। इसका अपना एक चंद्रमा भी है, जिसे वीवोट के नाम से जाना जाता है।
- जैसा कि बौना ग्रह बहुत छोटा है और बहुत दूर है जिसे सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता है, शोधकर्ताओं ने तारकीय भोग नामक घटना की मदद से अंगूठी का पता

	लगाया। • तारकीय गूढ़ता तब होती है जब, जैसा कि पृथ्वी से देखा जाता है, एक चमकीला तारा किसी ग्रह के पीछे से गुजरता है। यह खगोलविदों या पृथ्वी पर किसी को भी थोड़े समय के लिए ग्रह के तेज सिल्हूट का निरीक्षण करने की अनुमति देता है।
आदि महोत्सव	**प्रसंग** प्रधानमंत्री 16 फरवरी को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। **आदि महोत्सव के बारे में:** • आदि महोत्सव, जो जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाता है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) की एक वार्षिक पहल है। • चूँकि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, साथ ही हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि जैसे सामान्य आकर्षणों के साथ, महोत्सव में विशेष ध्यान आदिवासियों द्वारा उगाए गए श्री अन्न को प्रदर्शित करने पर होगा। • ट्राइफेड की स्थापना अगस्त 1987 में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में की गई थी। • ट्राइफेड का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से आदिवासियों का सामाजिक-आर्थिक विकास है, जिस पर आदिवासियों का जीवन काफी हद तक निर्भर करता है क्योंकि वे अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare